कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक : प.8–5(   )राजस्व/2023/3910-11   दिनांक 14.03.2023

प्रेषिति,

1. परियोजना निदेशक(पी0पी0पी0)
   सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा
2. अधिशाषी अभियंता,
   सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नैनवां

विषयः– ग्राम चाकन बांध में उपलब्ध भूमि की सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

प्रसंगः–आपका पत्र कमांक 861 दिनांक 27.2.2023 एवं पत्र कमांक 01 दिनांक 27.02.2023

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से बून्दी–सीलोर–गरडदा–भोपतपुरा सड़क के विकास कार्य हेतु आर रही वन भूमि 17.53 हैक्टेयर एवं बांसी से नैनवां के मध्य सड़क निर्माण में आ रही वनभूमि 6.99 हैक्टेयर के बदले चाकन बांध परियोजना में से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई थी। उक्त हस्तान्तरित भूमि के संबंध में प्रोजेक्ट स्कीनिंग कमेटी (पी.एस.सी.) द्वारा दिनांक 21.2.2023 एवं दिनांक 23.12.2022 आयोजित बैठक में वन विभाग जयपुर द्वारा ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ की चाकन लैण्ड बैंक में से वन विभाग को आवंटित की गई कुल भूमि एवं वर्तमान में शेष भूमि का विवरण चाहा गया है। वन विभाग जयपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः चाकन सिंचाई परियोजना में डूब क्षेत्र में वन विभाग की भूमि के बदले वन विभाग को तहसील नैनवां एवं इन्द्रगढ की कुल भूमि 289.53 हैक्टर राजकीय भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गई थी। परन्तु अधिशाषी जल संसाधन परियोजना खण्ड बून्दी द्वारा अवगत कराया कि चाकन लघु सिचाई परियोजना में वन विभाग की भूमि नहीं आना बताया गया। रकबा 289.53 हैक्टर राजकीय भूमि वन विभाग के पास ही है। उक्त 289.53 हैक्टर में से 198.2874 हैक्टेयर भूमि विभिन्न आदेशों से समायोजन की जा चुकी है। वर्तमान में 91.2426 हैक्टर भूमि वन विभाग के पास शेष रही है। पत्र सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी(राजस्व) एवं
अति0 जिला कलक्टर,बून्दी